

5. परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह संवत् प्राप्त संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि संस्थाओं द्वारा विधि-पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अतः संबद्धता प्राप्त संस्थाओं का भी यह दायित्व बजता कि वे म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा मा.शि.मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ताओं को पूरा सहयोग प्रदान कर विधिवत् रूप से अपनी संस्थाओं का निरीक्षण करवाये अन्यथा की स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता को समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

अति. सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.

भोपाल
भोपाल दिनांक 28/09/2015

पृ. क्रमांक/3073/डी.एड./2015
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी. विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय, मा.शि.मण्डल, इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, उज्जैन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अति. सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल